



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016-पोष 9, शके 1938

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

##### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पहले प्रेमनारायण अहिरवार था जो कि अब मेरे सभी दस्तावेजों में प्रेमनारायण वर्मा दर्ज हो चुका है। अतः मुझे प्रेमनारायण अहिरवार के नाम की जगह प्रेमनारायण वर्मा के नाम से जाना जाये तथा मेरे समस्त अभिलेखों व दस्तावेजों में प्रेमनारायण वर्मा उल्लेखित किया जाये।

पुराना नाम :

( प्रेमनारायण अहिरवार )

(559-बी.)

नया नाम :

( प्रेमनारायण वर्मा )

तनय गणेश प्रसाद वर्मा,  
निवासी-ग्राम रमजूपुर, तहसील अजयगढ़,  
जिला पन्ना ( मध्यप्रदेश ).

##### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम “संतोष पाल पिता हरीश पाल” था परन्तु अब मुझे “संतुष्टि पाल पिता हरीश पाल” के नाम से जाना-पहचाना जावे साथ ही समस्त व्यवहार इसी नाम से किया जावे।

पुराना नाम :

( संतोष पाल )

पिता हरीश पाल.

(560-बी.)

नया नाम :

( संतुष्टि पाल )

पिता हरीश पाल,

501, ग्रेटर बृजेश्वरी,

पिपल्याहाना, इन्दौर 452001.

##### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स माँ कैलादेवी इन्टरप्राइजेज स्थित म. नं. 38, शांति प्रकाशन, सदर बाजार, मुरार,

गवालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00324/12, दिनांक 30 मार्च, 2012 है जिसका दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 से फर्म का नाम परिवर्तन कर मैसर्स श्री माँ कैलादेवी इन्टरप्राइजेज किया गया है। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

फर्म माँ कैलादेवी इन्टरप्राइजेज,  
गौतम रैली,  
(भागीदार)।

(561-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकारगण का फर्म पाकीजा अफकार पब्लीकेशन फर्म में नये भागीदारों 1. श्री गौरव सलूजा, उम्र 32 साल, आत्मज श्री ओम प्रकाश सलूजा, निवासी -511, विष्णुपुरी एनेक्स, इन्दौर मध्यप्रदेश, 2. श्री ओम प्रकाश सलूजा, उम्र 51 साल, निवासी-511, विष्णुपुरी एनेक्स, इन्दौर मध्यप्रदेश को नये भागीदारों के रूप में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में वैनिक सांघ्य प्रकाश में दिनांक 24 सितम्बर, 2016 को प्रकाशित जाहिर सूचना में भागीदार क्रमांक 3. श्री एफ. एफ. खान त्रुटीवश प्रकाशित हो गया था। उक्त एफ. एफ. खान के स्थान पर भागीदार का सही नाम एम. एफ. खान पढ़ा जाए। अतः सर्व-साधारण को सूचित हो।

भवदीय

मो. फुरक्कान खान,  
(एडवोकेट)

कार्यालय/निवास-फिलेट न. 205, अफरोज अपार्टमेंट,  
गवर्नमेंट गल्ली स्कूल के पास गिन्नौरी, भोपाल।

(562-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स पी डी एसोसिएट्स (P D Associates), पता 10, ग्लोबल सिटी, रेल्वे कॉलोनी, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्यप्रदेश जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0121/16 है। उक्त फर्म की भागीदारी विलेख दिनांक 01 अप्रैल, 2010 को बनाई गई थी। जिसमें तीन भागीदार थे। फर्म के भागीदार श्री महेन्द्र कुमार रोहीतास आत्मज श्री पंचमल रोहितास अपने व्यक्तिगत कारणों से दिनांक 03-10-2016 को स्वेच्छा से उक्त फर्म से सप्रतिफल निवृत हो गए हैं। जिस बावत् सेवा निवृति विलेख निष्पादित की गई है और वर्तमान में श्री महेन्द्र कुमार रोहीतास का मैसर्स पी डी एसोसिएट्स (P D Associates) के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई चल-अचल अधिकार या हित शेष नहीं रह गया है। इस तरह वर्तमान में उक्त भागीदारी फर्म में दो भागीदार श्री प्रदीप सूर्यवंशी आत्मज श्री शिव दयाल सूर्यवंशी एवं श्री पंकज राय आत्मज श्री पी सी राय यथावत् हैं।

For M/s P D Associates,  
प्रदीप सूर्यवंशी एवं पंकज राय,  
(भागीदारगण)।

(563-बी.)

### PUBLIC NOTICE

Know all men that the Shri Manoj Chourasia S/o Ramesh Chourasia R/o Lonia Karbal, Chhindwara (M.P.) have been retired from the registered firm M/s Shri Sai Developers, Shop No. 9, Red Cross Complex, Chhindwara (Reg. No. 04/17/01/00027/14, Year 2014-15, Dated 13-05-2014) w. e. f. 21-11-2016. The Profit Sharing Ratio has also been change w. e. f. 01-04-2015. The firm has now three partners as Dimpal Singh, Dinesh Sahu and Saurabh Kothari with PSR as 33.34%, 33.33% and 33.33% respectively.

For M/s Shri Sai Developers,  
**DIMPAL SINGH,**  
(Partner).  
Chhindwara.

(564-B.)

### आम सूचना

सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 01/10/2016 से भागीदार क्रमांक-3 श्री रामकृष्ण दुबे आत्मज श्री लक्ष्मी नारायण दुबे, भागीदार क्रमांक-4 श्री नारायण प्रसाद शुक्ला आत्मज श्री भगवानदास शुक्ला एवं भागीदार क्रमांक-5 श्रीमति सुधा अवस्थी पत्नि श्री उमेश अवस्थी फर्म से अलग हो रहे हैं।

Awasthi Construction,  
नीरज अवस्थी,  
(Partner).

(565-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सिद्धी विनायक इण्डस्ट्रीज (पोहा फैक्ट्री) पता-226, औद्योगिक क्षेत्र, देवास रोड, नागझिरी, उज्जैन से चार भागीदारों में से दो भागीदार 1. राकेश कुमावत पिता श्री सत्यनारायण कुमावत, पता सी-22, अभिलाषा कॉलोनी, देवास रोड, उज्जैन एवं 2. नागूसिंह राजपूत पिता श्री कालूसिंह राजपूत, पता 150-ए, औद्योगिक क्षेत्र देवास रोड, नागझिरी, उज्जैन ने स्वयं को स्वेच्छा तथा निजी व्यस्तता के चलते दिनांक 28-10-2016 से उक्त उल्लेखित फर्म से अलग कर लिया है तथा इनका फर्म की सम्पत्ति व दायित्व में कोई हिस्सा या स्वत्व बकाया नहीं है तथा इनका फर्म में या फर्म से जुड़े व्यवसाय में किसी भी प्रकार का कोई लेन-देन बकाया नहीं है अब उक्त फर्म में केवल दो भागीदार 1. वीरेन्द्रसिंह राजपूत तथा 2. ज्ञानसिंह गौतम रहे हैं अब तथा भविष्य में सर्व-साधारण तथा व्यापारी बंधु इनसे ही समस्त व्यावसायिक लेन-देन करें।

मैसर्स सिद्धी विनायक इण्डस्ट्रीज (पोहा फैक्ट्री),  
राकेश कुमावत,  
(भागीदार)

226, औद्योगिक क्षेत्र, देवास रोड,  
नागझिरी, उज्जैन (म.प्र.).

(566-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सोमानी ब्रदर्स स्थित 470, जवाहर मार्ग, सियागंज, इन्दौर, जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00070/12, दिनांक 11-06-2012 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म है। उक्त फर्म में वर्तमान में दो भागीदार हैं। दिनांक 01-12-2016 से फर्म में एक और नये भागीदार श्रीमती मीनाक्षी सोमनी को लिया जा रहा है। अतः दिनांक 01-12-2016 से दो भागीदार के स्थान पर तीन भागीदार हो जाएंगे। सो सर्व-साधारण को सूचित हो।

मैसर्स सोमानी ब्रदर्स,  
नरोत्तम सोमानी,  
(भागीदार)

470, जवाहर मार्ग, सियागंज, इन्दौर।

(567 -बी.)

### NOTICE

#### NOTIFICATION UNDER SECTION 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT 1932

Notice is hereby given for public information that Shri Kartik Gupta S/o Shri Krishna Gopal Gupta has been admitted as a partner in the partnership business of the firm named M/s Kartik Enterprises at 101, Radha Krishna Appartment, 76, Bima Nagar, Indore (M.P.) Vide Reg. No. If/18/02-03, Dated 28-05-2002, year 2002-03 as from 01-06-2015 and the Constitution of the firm stands altered accordingly.

For M/s Kartik Enterprises,  
**KRISHNA GOPAL GUPTA,**  
(Partner).

(568-B.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स फ्रेन्ड्स रोड लाईन्स पंजीयन क्रमांक 00212/14, शॉप नं. 21, मण्डी कॉम्प्लेक्स, होशंगाबाद रोड, खेड़ा इटारसी, होशंगाबाद के भागीदारी विलेख में परिवर्तन किया जाता है जिसका विवरण निम्नानुसार है- श्री गुलाब खान आत्मज श्री बाबा खान, राकेश कुमार यादव आत्मज श्री प्रभुदयाल यादव एवं टिलेन्ट कुमार जैन आत्मज पदमश्री भाई जैन तीनों निवासीगण इटारसी, जिला होशंगाबाद को फर्म की आपसी सहमति से दिनांक 01-10-2016 को फर्म से निवृत किया जाता है एवं समीर खान आत्मज श्री गुलाब खान एवं रवि श्रीवास्तव आत्मज श्री नारायण प्रसाद, निवासीगण इटारसी, जिला होशंगाबाद को फर्म की आपसी सहमति दिनांक 01-10-2016 को नया भागीदार बनाया जाता है। अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त फर्म में परिवर्तन नयी भागीदारी एवं निवृत भागीदारी से फर्म संबंधी कोई लेनदेन वाद-विवाद अथवा अन्य किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति किसी व्यक्ति, शासकीय या अशासकीय संस्था वैक्य या अन्य किसी संस्था जिसकी हित प्रभाहित होती है वह सूचना प्रकाशन से 7 दिन के भीतर में दस्तावेज सहित कार्यालय में कार्यालयीन समय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा उक्त समय अवधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति मेरे पक्षकार फर्म पर बंधनकारी नहीं होगी एवं शून्य मानी जावेगी।

शिवम सिंह चौहान,  
(अधिवक्ता)

194, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल।

(569-बी.)

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

**न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास बण्डा, जिला सागर**

प्र.क्र. बी/113(1) वर्ष 2015-16.

बण्डा, दिनांक 08 दिसम्बर, 2016

मौजा-भेड़ाखास, तहसील बण्डा.

1. रामगोपाल पिता स्व. मुन्नालाल उर्फ उद्देत पाठक,  
निवासी ग्राम-भेड़ाखास, तहसील बण्डा, जिला सागर.

.....आवेदक

#### विरुद्ध

1. सुशील पिता राजकुमार मिश्रा,  
निवासी-भेड़ाखास, तहसील बण्डा, जिला सागर.

.....अनावेदक

**क्र.क्र/ रीडर-1/2016.—सर्व-साधारण को इस्तहार के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदक रामगोपाल पिता मुन्नालाल उर्फ उद्देत पाठक, निवासी ग्राम-भेड़ाखास, तहसील बण्डा, जिला सागर, मध्यप्रदेश के द्वारा मौजा ग्राम-भेड़ाखास, प. ह. नं.-56, तहसील बण्डा, जिला सागर में स्थित मंदिर श्रीजानकी रमणजी मंदिर व्यवस्थापक पुजारी राधिकाप्रसाद, प्रबंधक कलेक्टर सागर के नाम ख. नं.-389, 390, 395 रकवा-0.35, 1.22, 0.15 कुल रकवा-1.72 है. दर्ज है. आवेदक द्वारा पूर्व मुहत्तमकार स्व. राधिकाप्रसाद सा. भेड़ाखास, तहसील बण्डा की मृत्यु वर्ष 2000 में हो जाने के फलस्वरूप आवेदक स्वयं को मुहत्तमकार दर्ज किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.**

उक्त आवेदन-पत्र पर तहसीलदार बण्डा से प्रतिवेदन लिया गया उन्होंने अपने प्रतिवेदन दिनांक 09 अगस्त, 2016 में लेख किया है कि मंदिर में नाम मौजा-भेड़ाखास में स्थित भूमि ख. नं.-389, 390, 395 रकवा-0.35, 1.22, 0.15 कुल रकवा-1.72 है. में स्थित मंदिर श्री देवजानकी रमण मंदिर की व्यवस्थापन पूजा अर्चना पुजारी सुशील मिश्रा कर रहे हैं तथा उन्हे ही मंदिर व्यवस्थापक नियुक्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है.

अतः अनावेदक सुनील मिश्रा पिता राजकुमार मिश्रा सा. भेड़ाखास, तहसील बण्डा को मुहत्तमकार नियुक्त किये जाने में जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति समक्ष में पेशी दिनांक 30 जनवरी, 2017 को स्वयं अथवा अपने वैद्य प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. वाद म्याद गुजरने पर आपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं किया जावेगा.

इस्तहार मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा से जारी

जारी दिनांक 07 दिसम्बर, 2016

पेशी दिनांक 30 जनवरी, 2017

बी. बी. पाढ़ेय,

(872) अनुबिभागीय अधिकारी (राजस्व).

**न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास उपखण्ड जावद, जिला नीमच**

प्र.क्र.02/बी-113(1)/2016-17.

जावद, दिनांक 14 दिसम्बर, 2016

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम -5 (1) के द्वारा]

आवेदक मुख्य न्यासी श्री मुकेश जटिया, निवासी 15, कुम्हारान गली, जावद, तहसील जावद, जिला नीमच मध्यप्रदेश श्री इन्द्रमल जटिया स्मृति परमार्थ ट्रस्ट जावद, जिला नीमच मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर प्रकरण संस्थित किया जाकर आगामी पेशी तारीख 30 जनवरी, 2017 पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

**अनुसूची**

लोक न्यास का नाम और पता : श्री इन्द्रमल जटिया स्मृति परमार्थ ट्रस्ट जावद,  
जिला नीमच (म.प्र.).

सम्पत्ति का विवरण : 1. बैंक खाते में जमा-63,578/-

**जगदीश मेहरा,**

(873) अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

**न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला, जिला झाबुआ**

**प्रारूप क्रमांक-5**

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम -5 (1) के द्वारा]

यतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है।

अब इसलिये मैं श्री रामेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास थांदला, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश लोक न्यास का पंजीयन थांदला, जिला झाबुआ में मेरे न्यायालय में कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा 1 में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा।

**अनुसूची**

लोक न्यास का नाम : श्री रामेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक एवं परमार्थिक न्यास थांदला, जिला झाबुआ (म.प्र.).

सम्पत्ति : अचल सम्पत्ति में श्री रामेश्वर महादेव मंदिर जो थांदला के वार्ड नम्बर 02 में महात्मागांधी मार्ग पर भवन क्रमांक 569 पर नगर परिषद के रेकार्ड में दर्ज है जिसकी चर्तुसीमा निम्न है।

रामेश्वर महादेव मंदिर की चर्तुसीमा :-

: पूर्व में-कन्याछात्रावास भवन, पश्चिम में-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन उत्तर में-आमरास्ता, दक्षिण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर

कथित न्यास के पास वर्तमान में रुपये 16,472/- बैंक में जमा है।

**रंजीतसिंह बालोदिया,**  
पंजीयक।

(874)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास चंदेरी, जिला अशोकनगर**

प्रक्र./02बी-113/2009-10.

चंदेरी, दिनांक 06 दिसम्बर, 2016

इस न्यायालय में तीर्थकर ऋषभदेव सर्वोदय फाउण्डेशन ट्रस्ट, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर अध्यक्ष, अछिल बंसल पुत्र श्री महेन्द्र कुमार जी बंसल, निवासी जमा मस्जिद के पास चंदेरी, जिला अशोकनगर के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास एकट की धारा-4 के अंतर्गत तीर्थकर ऋषभदेव सर्वोदय फाउण्डेशन ट्रस्ट, जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश न्यास/सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा दिनांक 05 जनवरी, 2017 को विचार किया जावेगा।

इस तीर्थकर ऋषभदेव सर्वोदय फाउण्डेशन ट्रस्ट धार्मिक स्थल की चल व अचल सम्पत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में कोई अन्य व्यक्ति उपरोक्त ट्रस्ट की संपत्ति के बाबत किसी भी प्रकार का संबंध रखता है तो वह कोई भी अपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में लिखित रूप से इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के 15 दिवस के अन्दर मेरे समक्ष स्वयं/अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। तिथि निकल जाने के पश्चात् की गई किसी भी प्रकार की आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### अनुसूची क्रमांक-1

- मंदिर के प्रबंधन कार्यकारणी (न्यासीगण) के सदस्यों, प्रबंधक, न्यासी व पदाधिकारियों की पते सहित सूची-
- |      |   |             |
|------|---|-------------|
| (01) | श्री अंगिल बंसल, 129 जादोन नगर बी, स्टेशन रोड दुर्गापुरा, जयपुर | (अध्यक्ष)   |
| (02) | श्री शांतिकुमार पाटिल, ए-4 बापू नगर, जयपुर                      | (महामंत्री) |
| (03) | श्री संजय जैन, 61 मंगल विहार एक्सटेंशन गोपालपुरा, बाईपास, जयपुर | (उपाध्यक्ष) |

कार्यालय का पता आदिश्वरम् न्यू बस स्टेड चंदेरी

लोक न्यास की चल सम्पत्ति का विवरण-10500/- रुपये नगद

अचल सम्पत्ति : दान की गई भूमि सर्वे नम्बर 674 रकवा 0.157 में से 0.006 हेक्टर भूमि।

जे. पी. गुप्ता,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(875)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, मझगावां, जिला सतना**

### प्रारूप क्रमांक-4

[देखिए नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम -5 (1) के द्वारा]  
लोक न्यास न्यासों के पंजीयक अनुभाग मझगावां, जिला सतना के समक्ष।

आवेदक रामचन्द्र पटेल अध्यक्ष श्रीधाम चित्रकूट धर्मशाला पाटीदार समाज समिति चित्रकूट, जिला सतना मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) द की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 23 जनवरी, 2017 को मेरे न्यायालय में लिया जायेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का नाम पता : श्री धाम चित्रकूट धर्मशाला पाटीदार समाज न्यास चित्रकूट जिला सतना (म.प्र.).
2. अचल सम्पत्ति : निरंक.
3. चल सम्पत्ति : 8,22,278/- (आठ लाख बाईस हजार दो सौ अठहत्तर रुपये, बैंक में).

उक्त विज्ञप्ति आज दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(882)

### प्रारूप क्रमांक-5

[देखिए नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम -5 (1) के द्वारा]  
लोक न्यासों के पंजीयक अनुभाग मझगावां, जिला सतना के समक्ष।

अतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है।

अब इसलिए मैं, ए. पी. द्विवेदी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मझगवां एवं पंजीयक लोक न्यास, जिला सतना, लोक न्यासों के पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 23 जनवरी, 2017 को कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कथित न्यास की सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध किसी व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से 01 माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

ए. पी. द्विवेदी,

(882-A)

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक।

**न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग, घटिट्या, जिला उज्जैन**

प्रकरण क्र.02/बी-113/लोक न्यास पंजीयन/2015-16.

#### प्रारूप-चार

[नियम-5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

जिला उज्जैन के समक्ष।

चूंकि प्रतिनिधि प्रबंधक- (1) मंहत श्री अयोध्यादास, लक्कडास मंदिर लक्ष्मीबाई मार्ग नागदा, जिला उज्जैन (2) श्री राजेन्द्रदास गुरु, जगन्नाथ मंदिर जमालपुर अहमदाबाद गुजरात, (3) मंहत श्री रामबल्लीदास बैठक ज्ञानदुग्गड़ी वृन्दावन, जिला मथुरा, (4) मंहत श्री महेशदास मोक्षधाम श्रीराम मंदिर खाकचौक उज्जैन, (5) श्री रामेश्वरदास जूनागढ़ सौराष्ट्र गुजरात, (6) मंहत श्री सुरेन्द्रदास लक्ष्मीबाई मार्ग नागदा, (7) मंहत श्री जगदीशदास वृन्दावन जिला मथुरा, (8) मंहत श्री बिजेन्द्रदास ज्ञानदुग्गड़ी वृन्दावन, जिला मथुरा, (9) मंहत श्री पूर्णदास वृन्दावन, जिला मथुरा, (10) मंहत श्री सुरेशदास वृन्दावन, (11) मंहत श्री भरतदास रावर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30) की धारा-5 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विर्निदिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 20 जनवरी, 2017 को प्रातः 11.30 बजे स्थान कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग घटिट्या, जिला उज्जैन में विचार किया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, तो उसे यह सूचना लोक न्यास गठन के पूर्व सूचित करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास/अनुविभागीय अधिकारी, घटिट्या, जिला उज्जैन, उक्त लोक न्यास का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 20 जनवरी, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने पर विचार करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे न्यायालय में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

#### अनुसूची

लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन लोक न्यास का नाम और पता

न्यास का नाम	:	अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़ा।
कार्यालय	:	श्री राम मंदिर मोक्षधाम खाकचौक, उज्जैन।
चल/अचल सम्पत्ति	:	न्यास के नाम (1) पंजाब नेशनल बैंक में रुपये 23,84,959/- की एफ. डी. (2) युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया में रुपये 6,43,000/- की एफ. डी. है।

शोभाराम सोलंकी,

(884)

पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी।

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया

उमरिया, दिनांक 02 दिसम्बर, 2016

क्र./परि./2016/636.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2013/601, उमरिया, दिनांक 24 सितम्बर, 2013 द्वारा मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, अमरपुर, तहसील मानपुर, जिला उमरिया, पंजीयन क्रमांक-25, दिनांक 27 अगस्त, 2002 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत तत्कालीन सहकारिता विस्तार अधिकारी, वि. खं.-मानपुर, को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। प्रतिवेदन के परीक्षण उपरान्त परिसमापक की कार्यवाही से सन्तुष्ट होकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संस्था मछुआ सहकारी समिति मर्यादित, अमरपुर, तहसील मानपुर, जिला उमरिया का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगम निकाय/कार्पोरेट बॉडी समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

एम. एल. प्रजापति,  
सहायक पंजीयक।

(876)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना

मुरैना, दिनांक 09 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69-70 के तहत]

क्र./परि./2016/2237.—टैक्सटाइल्स प्रोसेसिंग सहकारी संस्था मर्या., वड़फरा, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना पंजीयन क्र./231, दिनांक 03 जनवरी, 1991 जिसे आगे चलकर संस्था कहा गया है।

कलेक्टर मुरैना द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की जांच अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग अम्बाह से कराई गयी। जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि, मौके पर संस्था का कोई भौतिक रूप से अस्तित्व नहीं है। ग्राम वड़फरा में किसी भी प्रकार की बुनाई, हैण्डलूम, टैक्सटाइल आदि का कोई कार्य नहीं किया जाता व मौके पर कपड़ा बुनाई या बनाने के उपकरण आदि नहीं पाये गये। निष्कर्ष में संस्था का कागजी रूप से बनाया हुआ होना व निर्वाचन सम्बन्ध कार्य बनावटी रूप से कराया जाना गत 10 वर्षों से इनका कोई अस्तित्व न होना, सम्पूर्ण क्षेत्र के अन्तर्गत बुनाई, रंगाई, टैक्सटाइल आदि कोई कार्य नहीं किया जाना न इस कार्य से सम्बन्धित कोई कारीगर इस क्षेत्र में होना, शासकीय लाभ प्राप्त करने के लिए संस्था का कागजी रूप बनाया होना प्रतिवेदित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग अम्बाह के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर मुरैना द्वारा अपने पत्र क्रमांक/शिकायत/स.सी./2009, दिनांक 16 सितम्बर, 2009 से संस्था के पंजीयन निरस्ती हेतु लिखा गया।

प्रतिवेदन के आधार पर संस्था को इस कार्यालय के पत्र क्र./परिसमापन/09/दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर उत्तर चाहा गया था। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के विरुद्ध न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल में निगरानी धारा-80 (क) प्रकरण क्र. 177/09 दायर की गयी।

विपणन सहकारी संस्था मर्या., अम्बाह के सदस्य श्री जगदीश शर्मा, निवासी ग्राम थरा, तहसील अम्बाह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में दायर याचिका क्र./डब्ल्यू.पी./45/2016 में आदेश दिनांक 25 फरवरी, 2016 में निर्णय दिया गया कि, निगरानी के आदेश का इन्तजार किये बिना उप-पंजीयक कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

संस्था के संचालक मण्डल को कारण बताओ सूचना-पत्र क्र./परिसमापन /2016/1948, दिनांक 09 नवम्बर, 2016 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत पुनः जारी कर संस्था द्वारा गत 10 वर्षों में कितना क्या उत्पादन किया, कितना प्रोसेसिंग कार्य किया, उत्पादन कार्य कहाँ किया, कितनी मजदूरी सदस्यों को भुगतान की, उत्पादक वस्तुओं के लागत पत्रक, बिक्री किये गये माल की जानकारी, संस्था का मूल सदस्य रजिस्टर, मूल पंजीयन प्रमाण-पत्र, स्टाक पंजी. (कच्चे माल की व उत्पादित माल की) बिक्री पंजी, मय बिक्री बिल, कच्चे माल की पंजीयाँ, संचालक मण्डल की बैठकों हेतु जारी एजेंडा की प्रतियाँ, संचालक मण्डल की बैठकों की पंजी,

आम सभा बुलाने के एजेण्डे की प्रतियां, आम सभा की कार्यवाही पंजी, रोकड़ बहियां, संस्था के सभी बुनकर सदस्य हैं, या संस्था के उद्देश्यानुसार श्रमिक हैं, एवं उसी व्यवसाय से सम्बन्धित हैं के प्रमाण दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को लेकर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पंजीकृत डाक से निवास के पतों पर जारी किया गया।

दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को श्री रामविलास शर्मा संस्था अध्यक्ष के तौर पर कार्यालय में उपस्थित होकर एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी को जांच रिपोर्ट मांगी गयी, परन्तु सूचना-पत्र से चाहा गया उत्तर एवं रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस कार्यालय द्वारा पुनः पत्र क्र./परिसमापन/2016/2066, दिनांक 29 नवम्बर, 2016 जारी कर दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 तक कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर व रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया।

दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को श्री रामविलास शर्मा द्वारा पत्र देकर जांच रिपोर्ट मांगी गयी परन्तु कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया गया न ही कोई दस्तावेज या प्रमाण प्रस्तुत किया गया, न संस्था का कोई भी संचालकगण उपस्थित होकर सूचना-पत्र का उत्तर देने हेतु उपस्थित हुआ।

इस तथ्य से यह समाधान हो गया है कि, संस्था पर लगाए गए आरोप सत्य हैं एवं स्वीकार हैं। संस्था की ओर से संचालक मण्डल एवं संस्था अपने बचाव में कुछ नहीं कहना चाहती। अतः मैं, आर. सी. शर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला मुरैना मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-15-1-99/पन्द्रह, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए टैक्सटाइल्स प्रोसेसिंग सहकारी संस्था मर्या., बड़फरा, तहसील अम्बाह, पंजीयन क्र./231, दिनांक 03 जनवरी, 1991 को सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 व 70 के तहत परिसमापन में लाता हूँ तथा संस्था का परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी अम्बाह को नियुक्त करता हूँ तथा निर्देशित करता हूँ कि, सहकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार संस्था की आस्तियां व दायित्वों का निराकरण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 को जारी किया गया।

आर. सी. शर्मा,  
उप-पंजीयक।

(877)

### कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57-सी के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	एल. एन. सी. पी. गृह नि. सह. समिति मर्या., ग्वालियर	147/01-04-1989	2459/24-12-2011
2.	विश्वकर्मा गृह नि. सह. संस्था मर्या., ग्वालियर	77/07-09-1979	2467/24-11-2012
3.	साई गृह नि. सह. संस्था मर्या., डबगा, ग्वालियर	352/29-08-2003	721/23-05-2003
4.	ओम साईराम गृह नि. सह. संस्था मर्या., ग्वालियर	383/10-08-2004	1130/31-03-2016
5.	हर्षित ग्वालियर गृह नि. सह. संस्था मर्या., ग्वालियर	276/21-02-2007	1131/31-03-2016
6.	संभगीय मछुआरा सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	156/27-01-1974	4022/24-11-2000
7.	सेन्ट्रल गुड्स हैण्डलिंग ट्रान्सपोर्ट सह. संस्था मर्या., ग्वालियर	150/11-07-1989	4021/24-11-2000
8.	जय माँ बीड़ी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	405/05-04-2008	963/21-03-2016
9.	कामकाजी महिला साख सहकारी संस्था मर्या., मुरार	785/17-02-1995	2645/28-09-2004
10.	रशिम महिला अल्प बचत साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	783/10-02-1995	1004/29-03-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्था की समस्त आस्तियां परिसमापक में वैष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक (अंकेशण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियां या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकों वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दशाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगास/शून्यकाल मानकर तदनुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

मनोज श्रीवास्तव,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(878)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 03 अक्टूबर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1502.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामली, जिला आगर-मालवा के निर्वाचन हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सहनिप्रा/निर्वा-2/2016/5024, दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा आदेशित किया गया था।

संस्था के प्रशासक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन प्रारम्भ कराने हेतु कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही उनके द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि ली जा रही है। अतः संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

अतः प्रशासक द्वारा प्रस्तुत पत्र एवं निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था निर्वाचन कराने में विफल रहने के कारण संस्था को परिसमापन में लायी जाने की अनुशंसा की गयी है।

प्रशासक एवं निर्वाचन कक्ष की अनुशंसा के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामली, जिला आगर-मालवा, (पंजीयन क्रमांक 28, दिनांक 05 जनवरी, 2015) को आज दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल. एस. ठाकुर अंकेक्षण अधिकारी, जिला आगर-मालवा को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(879)

आगर-मालवा, दिनांक 03 अक्टूबर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1501.—महादेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लक्ष्मीखेडा, जिला आगर-मालवा के निर्वाचन हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सहनिप्रा/निर्वा-2/2016/5024, दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा आदेशित किया गया था।

संस्था के प्रशासक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन प्रारम्भ कराने हेतु कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही उनके द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि ली जा रही है। अतः संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

अतः प्रशासक द्वारा प्रस्तुत पत्र एवं निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था निर्वाचन कराने में विफल रहने के कारण संस्था को परिसमापन में लायी जाने की अनुशंसा की गयी है।

प्रशासक एवं निर्वाचन कक्ष की अनुशंसा के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महादेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लक्ष्मीखेडा, जिला आगर-मालवा, (पंजीयन क्रमांक 22, दिनांक 17 दिसम्बर, 2014) को आज दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा

श्री एल. एस. ठाकुर अंकेक्षण अधिकारी, जिला आगर-मालवा को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 03 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(879-A)

आगर-मालवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1569.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लाडोन, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा के निर्वाचन हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सहनिप्रा/निर्वा-2/2016/5024, दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा आदेशित किया गया था।

संस्था के प्रशासक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन प्रारम्भ कराने हेतु कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही उनके द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि ली जा रही है। अतः संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

अतः प्रशासक द्वारा प्रस्तुत पत्र एवं निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था निर्वाचन कराने में विफल रहने के कारण संस्था को परिसमापन में लायी जाने की अनुशंसा की गयी है।

प्रशासक एवं निर्वाचन कक्ष की अनुशंसा के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लाडोन, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा, (पंजीयन क्रमांक 05, दिनांक 29 मार्च, 2014) को आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल. एस. ठाकुर अंकेक्षण अधिकारी, जिला आगर-मालवा को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(879-B)

आगर-मालवा, दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1570.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धनोरा, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा के निर्वाचन हेतु मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सहनिप्रा/निर्वा-2/2016/5024, दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा आदेशित किया गया था।

संस्था के प्रशासक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन प्रारम्भ कराने हेतु कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही उनके द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि ली जा रही है। अतः संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

अतः प्रशासक द्वारा प्रस्तुत पत्र एवं निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी अनुसार स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था निर्वाचन कराने में विफल रहने के कारण संस्था को परिसमापन में लायी जाने की अनुशंसा की गयी है।

प्रशासक एवं निर्वाचन कक्ष की अनुशंसा के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धनोरा, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा, (पंजीयन क्रमांक 11, दिनांक 21 अक्टूबर, 2014) को आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल. एस. ठाकुर अंकेक्षण अधिकारी, जिला आगर-मालवा को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(879-C)

आगर-मालवा, दिनांक 04 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1598.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/1169,

दिनांक 11 जुलाई, 2016 के द्वारा महिला दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आक्याभाटी, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 20, दिनांक 21 नवम्बर, 2014) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त संस्था परिसमापन के उपरांत भी नियमित दुध संकलन का कार्य कर रही है तथा संस्था का वर्ष 2015-16 तक का अंकेक्षण पूर्ण हो चुका है। संस्था सदस्यों की बैठक दिनांक 30 अगस्त, 2016 में संस्था को अधिनियम अनुसार संचालित करने का निर्णय पारित किया जाकर संस्था के नवीन निर्वाचन कराने हेतु संकल्प पारित किया गया है। परिसमापक द्वारा अपने प्रतिवेदन में संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः संस्था सदस्यों द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के आधार पर मैं आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आक्याभाटी, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 20, दिनांक 21 नवम्बर, 2014) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त करते हुये पुनर्जीवित करता हूँ तथा संस्था के नवीन निर्वाचन होने तक श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ, प्रशासक पन्द्रह दिवस में संस्था का नवीन निर्वाचन हेतु प्रस्ताव तैयार कर कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 04 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

आर. एस. गौर,  
उप-पंजीयक।

(879-E)

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/1715.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/7965, भोपाल, दिनांक 03 अगस्त, 2016 के द्वारा श्री पं. विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक को श्री बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सारसी, पंजीयन क्रमांक 46, दिनांक 24 जनवरी, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था।

रिटर्निंग अधिकारी श्री शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित पत्र दिनांक 05 सितम्बर, 2016 से अवगत कराया गया कि उक्त संस्था के अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत किये गये कि संस्था में अपर्याप्त पूँजी होने तथा सदस्यों द्वारा संस्था कारोबार में कोई रुचि नहीं लिये जाने से संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है।

दुध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्र अनुसार संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण सहकारी अधिनियम, एवं संस्था उपविधि का उल्लंघन किया गया है तथा परिसमापन कक्ष से प्राप्त टीप अनुसार संस्था को परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गयी है जिसके परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाती हूँ।

अतः मैं, श्वेता रावत, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री बालाजी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सारसी, पंजीयन क्रमांक 46, दिनांक 24 जनवरी, 2015 को आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 से परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री पं. विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करती हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 05 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

श्वेता रावत,  
सहायक पंजीयक।

(879-D)

### कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं, जिनके पंजीयन

क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जामली	28/05/01-2015	1502/03-10-2016
2.	महादेव बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लक्ष्मीखेड़ा	22/17-12-2014	1501/03-10-2016

अतः मैं, एल. एस. ठाकुर, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मयप्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

एल. एस. ठाकुर,

परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी।

(880)

आगर-मालवा, दिनांक 05 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्था जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	कस्तूरबा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बड़गांव	472/17-06-1994	183/22-09-2015

अतः मैं, आर. एस. गरेटिया, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्था के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मयप्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आर. एस. गरेटिया,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

(881)

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा

हरदा, दिनांक 13 दिसम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

नर्मदा यातायात सहकारी समिति मर्या., टिमरनी, जिला हरदा।

क्र./परिसमापन/2016/1199.—मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम की धारा-49 एवं 58 के अन्तर्गत क्रमशः निर्वाचन की

कार्यवाही एवं अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है—

1. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं होकर अर्पूण हैं?
2. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है?

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत अधिकारी जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एच-5-1-99-एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुए मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, हरदा, नर्मदा यातायात सहकारी समिति मर्या., टिमरनी, जिला हरदा जिसका पंजीयन क्रमांक 26, दिनांक 25 जनवरी, 2002 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ, कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम की धारा-69 (2) (ए) के अन्तर्गत आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावें।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त होने के तीस दिवस के अन्दर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह समझा जावेगा कि अपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर समिति को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित कर दिये जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(883)

हरदा, दिनांक 13 दिसम्बर, 2016

### कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रभारी अधिकारी/प्रबंधक,

ज्योति क्रय विक्रय विपणन सहकारी समिति मर्या., खिरकिया, जिला हरदा।

क्र./परिसमापन/2016/1200.—मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम की धारा-49 एवं 58 के अन्तर्गत क्रमशः निर्वाचन की कार्यवाही एवं अंकेक्षण करने पर पाया गया कि संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है—

1. संस्था का रिकार्ड विधिवत् संधारित नहीं होकर अर्पूण हैं।
2. संस्था विगत वर्ष 2012-13 से लगातार अंकेक्षण कराने में असफल रही है।
3. संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराने में असफल रही है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत अधिकारी जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एच-5-1-99-एक-पन्द्रह-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुए मैं, घनश्याम डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, हरदा, ज्योति क्रय-विक्रय विपणन सहकारी समिति मर्या., खिरकिया, जिला हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 89, दिनांक 10 अप्रैल, 2003 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ, कि क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम की धारा-69 (2) (ए) के अन्तर्गत आपकी संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावें।

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त होने के तीस दिवस के अन्दर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर (स्पष्टीकरण) इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होने की दशा में यह समझा जावेगा कि अपको उक्त बिन्दुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना है, एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर समिति को परिसमापन में लाये जाने के आदेश पारित कर दिये जावेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

धनश्याम डेहरिया,  
उप-पंजीयक.

(883-A)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 53 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर, 2016-पोष 9, शके 1938

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

##### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 10 अगस्त, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है।—

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अम्बाह, पोरसा, जोरा (मुरैना), मझगांव (सतना), जावरा, आलोट, सैलाना, बाजना, पिपलोदा, रत्लाम (रत्लाम), थांदला, मेघनगर, पेटलावद, झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), बड़वानी, सेंधवा (बड़वानी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील मुरैना, सबलगढ़, कैलारस (मुरैना), गोहद, मेहगांव, लहार, मिहोना-रौन (भिण्ड), डबरा, घाटीगांव (ग्वालियर), जतारा, टीकमगढ़, वल्देवगढ़ (टीकमगढ़), त्योंथर, हनुमना, गुढ़, रामपुर-कर्चुलियान (रीवा), सोण्डवा (अलीराजपुर), सेंधांव, भगवानपुरा, झिरन्या (खरगौन), राजपुर, पानसेमल (बड़वानी), खकनार (बुरहानपुर), पांदुर्ना, अमरवाड़ा, चौरई, चांद, हरई (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील भिण्ड (भिण्ड), शिवपुरी (शिवपुरी), पृथ्वीपुर (टीकमगढ़), गौरीहार, नौगांव (छतरपुर), पन्ना (पन्ना), रामनगर (सतना), सिंहावल, कुसमी (सीधी), डही (धार), खरगौन, गोगावां, भीकनगांव (खरगौन), पाटी, ठीकरी (बड़वानी), बुरहानपुर (बुरहानपुर), नरसिंहपुर (नरसिंहपुर), छिन्दवाड़ा (छिन्दवाड़ा), कटंगी, बालाघाट में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), ग्वालियर, भितरवार (ग्वालियर), पिछोर, खनियाधाना, नरवर, कैरौ, कोलारस, पोहरी, बद्रवास (शिवपुरी), मुंगावली, ईसागढ़, अशोकनगर, चन्द्रेरी (अशोकनगर), राधोगढ़, बमोरी, आरोन (गुना), निवाड़ी, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, छतरपुर, राजनगर, बिजावर, बड़ामल्हरा, बक्सवाहा (छतरपुर), अजयगढ़, गुनौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), बीना, खुरई, बंडा, सागर, रेहली, देवरी, गढ़कोटा, राहतगढ़, केसली, मालथोन (सागर), हटा,

बटियागढ़, दमोह, पथरिया, जवेरा, तेन्दुखेड़ा (दमोह), रघुराजनगर, रामपुरबघेलान नागौद, उच्चेरा, अमरपाटन, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), सिरमौर, मऊगंज, हुजूर (रीवा), सोहागपुर, ब्लौहरी, जैसिंहनगर, गोहपाल, जैतपुर, बुढ़ार (शहडोल), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा (अनूपपुर), गोपदबनास, मझोली, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), चितरंगी, देवसर, सिंगरौली (सिंगरौली), सुबासराटप्पा, भानपुरा, मल्हारगढ़, गरोठ, मंदसौर, श्यामगढ़, सीतामऊ, संजीत, कयामपुर (मंदसौर), मनासा (नीमच), खाचरौद, महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), मो. बड़ोदिया, शाजापुर, शुजालपुर, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), जोवट, अलीराजपुर, उदयगढ़, च. शेखर आ. नगर (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, धार, कुक्षी, मनावर, धरमपुरी, गंधवानी (धार), बड़वाह, महेश्वर, कसरावद (खरगौन), निवाली (बड़वानी), नेपानगर (बुरहानपुर), सीहोर, आष्टा, जावर, इच्छावर, नसरुल्लागंज, रेहटी, बुधनी (सीहोर), रायसेन, गौहरगंज, बरेली, सिलवानी, बाड़ी, उदयपुरा (रायसेन), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी, पचमढ़ी (होशंगाबाद), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, मझोली, कुंडम (जबलपुर), गाडरवारा, करेली, गोटेगांव, तेन्दुखेड़ा (नरसिंहपुर), नैनपुर, मंडला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), जुन्नारदेव, परासिया, तामिया, सोंसर, बिछुआ, उमरेठ, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), केवलारी, लखनादौन, कुरई, घन्सौर, घनौरा, छपारा (सिवनी), लांजी, बैहर, वारासिवनी, खैरलांजी, लालबरा, बिरसा, परसवाड़ा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ड) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.- तहसील गुना, चाचोड़ा, कुंभराज (गुना), शाहगढ़ (सागर), पटेरा (दमोह), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), धुन्धड़का (मंदसौर), जावद, नीमच (नीमच), कट्ठीवाड़ा (अलीराजपुर), श्यामपुर (सीहोर), गैरतगंज, बेगमगंज (रायसेन), निवास, बिछिया (मण्डला), किरनापुर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.- जिला श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, झाबुआ, बड़वानी, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर व मंडला में जुताई व रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.- जिला श्योपुर, ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर व मंडला में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

#### 4. फसल स्थिति-

..

#### 5. कटाई.-

..

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, शिवपुरी, पन्ना, शहडोल, अनूपपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, जबलपुर, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 10 अगस्त, 2016

जिला/तहसीलें	<p>1. सप्ताह में हुई वर्षा :-          (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में)          (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.</p> <p>2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :-          (अ) प्रारम्भिक जुताई पर.          (ब) बोनी पर          (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो.          (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित.          (य) कटी हुई फसल पर.</p>		<p>3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव.          4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:-          (1) फसल का क्षेत्रफल-          (अ) अधिक, समान या कम.          (ब) प्रतिशत.          (2) फसल की हालत-          (अ) सुखरी हुई, समान या बिगड़ी हुई          (ब) प्रतिशत.</p>		<p>5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक)          6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.          7. बीज की प्राप्ति.          8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.</p>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.	
1. अम्बाह	13.0					
2. पोरसा	12.0					
3. मुरैना	22.6					
4. जौरा	12.0					
5. सबलगढ़	27.0					
6. कैलारस	30.0					
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, तुअर, उड़द, मूँग सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
1. श्योपुर	95.0					
2. कराहल	98.3					
3. विजयपुर	53.5					
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
1. अटेर	..					
2. भिण्ड	40.0					
3. गोहद	24.0					
4. मेंहगांव	24.4					
5. लहार	27.4					
6. मिहोना	31.0					
7. रैन						
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.	
1. ग्वालियर	75.0					
2. डबरा	33.8					
3. भितरवार	74.2					
4. घाटीगांव	23.0					
5. जिला दत्तिया :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
1. सेवढ़ा	..					
2. दत्तिया	..					
3. भान्डेर	..					
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
1. शिवपुरी	44.0					
2. पिछोर	69.0					
3. खनियाधाना	117.0					
4. नरवर	89.0					
5. कैरै	77.6					
6. कोलारस	134.0					
7. पोहरी	63.0					
8. बद्रवास	153.0					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगवली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्द्रेरी 5. शाढौरा	89.0 139.0 203.0 108.0 ..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना 2. राघोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज	286.7 190.0 224.0 226.0 309.0 246.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, ज्वार, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, अरहर- समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पल्लेरा 7. ओरछा	134.0 41.0 20.0 32.0 34.0 72.0 84.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लब-कुश नगर 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़ामलहरा 8. बक्सवाहा	72.0 50.0 39.6 55.8 107.7 70.5 115.8 137.4				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, सोयाबीन. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. शाहनगर	112.6 41.5 71.0 88.0 213.0				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़	132.4 104.4 167.2 149.8 66.4 227.0 101.2 180.0 119.0 133.4 258.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) सोयाबीन, धान, अरहर, उड़द, ज्वार, मूंग, मक्का, गन्ना, मूंगफली, तिल समान (2) उपरोक्त फसलें समान।	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त।
1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जबेरा 6. तेन्दुखेड़ा 7. पटेरा	111.3 166.3 143.3 168.0 192.0 167.4 258.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) धान, सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग, तिल, अरहर, सुधरी हुई। (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. .. 8. पर्याप्त।
1. रघुराजनगर 2. मझगावां 3. रामपुर-बघेलान 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. बिरसिंहपुर	84.9 12.0 109.0 60.8 58.0 70.0 38.0 70.0 144.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है।	3. .. 4. (1) उड़द, मूंग अधिक धान, सोयाबीन कम। तुअर, ज्वार समान। (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त।
1. त्यौंथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हजूर 6. गुढ़ 7. रायपुरकचुलियान	25.0 72.6 56.6 21.5 109.1 29.8 20.0				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोदों-कुटकी, तुअर अधिक। (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त।
1. सोहागपुर 2. ब्यौहारी 3. जैसिंहनगर 4. गोहपारू 5. जैतपुर 6. बुढ़ार	138.0 94.0 128.0 90.0 89.0 152.7				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) धान, तुअर, तिल, कोदों-कुटकी कम। मक्का, सोया समान। (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त।
1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़	157.7 86.5 133.8 360.2				
18. *जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. मानपुर	.. .. ..				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई बोनी व रोपाई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूंग कम। ज्वार, मक्का समान। (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त।
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	71.6 41.6 67.9 44.0 107.7 97.3				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) धान, मक्का, राहर, उड़द, कोदो-कुटकी, ज्वार समान। (2) उपरोक्त फसलें समान।	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली	54.5 88.9 75.4				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. सुवासराटप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुंधडका 9. संजीत 10. कयामपुर	111.3 224.8 126.0 142.8 149.0 108.0 98.6 247.0 158.0 157.0				
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) उड़द, मक्का, तिल, तुअर, मूँफली, मूँग अधिक। धान-कम. ज्वार समान। (2) ..	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	298.3 265.0 220.3				
23. जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान। (2) उपरोक्त फसलें समान।	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलोदा 6. रत्लाम	3.0 4.6 14.0 8.8 7.3 12.6				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का。 (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	184.0 176.0 203.0 206.0 72.0 143.0 139.0				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का समान। (2) उपरोक्त फसलें समान।	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. .. 8. पर्याप्त।
1. बड़ौद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर	.. .. .. ..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग समान। (2) उपरोक्त फसलें समान।	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. ..
1. मोहम्मद बड़ोदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना	85.0 87.0 120.0 195.0 86				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग अधिक. सोयाबीन, कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. सोनकछु 2. टोकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नोद 6. खातेगांव	.. .. .. .. .. ..			7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2.	धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, सोयाबीन, उड़द, कपास, मूंगफली, तुअर अधिक. धान समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर	15.8 9.0 14.0 8.7 6.0			7. ... 8. पर्याप्त.	
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, तुअर अधिक. (2) ..	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जोकट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीबाड़ा 4. सोंडवा 5. उदयगढ़ 6. च. शेखर आ. नगर	133.6 122.0 277.0 27.0 79.4 126.2			7. ... 8. पर्याप्त.	
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, कपास, गन्ना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्की 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	125.0 105.0 56.2 90.0 105.0 57.0 84.0 53.0			7. ... 8. पर्याप्त.	
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2.	..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	.. .. .. ..			7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	
32. जिला खरगोन :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूंगफली, तुअर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेंगांव 4. खरगोन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. झिरन्या	75.0 88.2 24.5 36.7 49.0 74.0 30.9 44.1 33.0			7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>33. जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	10.8				
2. ठीकरी	48.0				
3. राजपुर	28.0				
4. सेंधवा	17.0				
5. पानसेमल	32.0				
6. पाटी	47.0				
7. निवाली	61.8				
<b>34. *जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	38.0				
2. खकनार	28.0				
3. नेपानगर	65.0				
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	217.8				
2. श्यामपुर	262.0				
3. आष्टा	123.0				
4. जावर	212.7				
5. इछावर	158.0				
6. नसरुल्लागंज	89.0				
7. रेहटी	157.4				
8. बुधनी	147.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. ज़िला रायसेन :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	126.2				
2. गैरतगंज	267.2				
3. बेगमगंज	255.0				
4. गोहरगंज	73.0				
5. बरेली	107.6				
6. सिलवानी	208.6				
7. बाड़ी	72.5				
8. उदयपुरा	86.0				
41. *ज़िला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. भैसदेही	..				
2. घोड़ाड़ोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. ज़िला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	86.8				
2. होशंगाबाद	195.1				
3. बावई	51.0				
4. इटारसी	178.2				
5. सोहागपुर	72.0				
6. पिपरिया	117.4				
7. बनखेड़ी	99.6				
8. पचमढ़ी	207.0				
43. *ज़िला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
44. ज़िला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का अधिक. उड़द, धान, तुअर, को. कुटकी कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	128.0				
2. पाटन	199.5				
3. जबलपुर	201.2				
4. मझोली	79.1				
5. कुण्डम	122.9				
45. ज़िला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघौण्ड	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ी	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाड़वारा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेंदूखेड़ा	57.0 63.0 37.0 77.0 171.0				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज	265.2 252.7 109.5 181.8 126.1 200.3				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, कोर्म, कुटकी, तुअर, उड्ढ, रामतिल समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. बजाग 3. शाहपुरा	.. .. ..				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा 2. जुन्नारदेव 3. परासिया 4. तामिया 5. सोंसर 6. पाटुणी 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. चाँद 10. बिछुआ 11. हर्ई 12. उमरेठ 13. मोहखेड़ा	35.9 56.2 53.9 143.0 55.8 29.8 33.8 26.0 29.9 120.7 29.8 60.2 73.4				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादोन 4. बरघाट 5. उरई 6. घंसोर 7. घनोरा 8. छपारा	30.60 100.60 11.30 27.80 56.0 91.0 97.20 58.70				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. वारासिवनी 5. कटंगी 6. किरनापुर 7. लालबरा 8. खैरलांजी 9. परसबाड़ा 10. बिरसा	159.0 229.6 200.0 148.5 46.9 256.4 88.0 102.0 220.6 205.9				

टीप.-\*जिला उमरिया, खंडवा, बैतूल, हरदा से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

सुहेल अली,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.